

इकरारनामा

हम कि कल्याण कन्स्ट्रक्शन नगला कली, आगरा द्वारा पार्टनर श्री सुरेश चन्द्र पुत्र स्व० श्री श्यामप्रसाद व श्रीमती कमलेश शर्मा पत्नी श्री सुरेश चन्द्र निवासी—नगला कली, तहसील व जिला आगरा जिनको विक्रय के समस्त अधिकार प्राप्त हैं।

..... प्रथम पक्ष

एवं

..... द्वितीय पक्ष

सम्पत्ति विवरण—

एक किता प्लाट सं०—..... स्थित खसरा सं०—75, 76, 77, 78 व तादाद
..... वर्गगज यानि कि वर्गमीटर वांकै शिव गंगा रेजीडेन्सी नगला कली तहसील व जिला आगरा जिसकी सीमायें नीचे दी गयी हैं। जो साथ लगे नक्शे में बरंग लाल से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। उक्त प्लॉट पर कोई निर्माण नहीं है। जिसकी पैमाइश इस प्रकार है—पूरब से पश्चिम फुट, उत्तर से दक्षिण फुट जिसकी सीमायें निम्न हैं—

पूरब—रोड़ 9 मीटर, पश्चिम—प्लॉट सं०, उत्तर—प्लाट सं०....., दक्षिण प्लाट सं०....., विदित हो कि विक्रीत प्लॉट पार्क फेसिंग का नहीं है। उपरोक्त प्लाट के प्रथम पक्ष विक्रेतागण मालिक, काबिज व दखील चले आते हैं अन्य कोई हकदार व हिस्सेदार नहीं है। प्रथम पक्ष ने उक्त प्लॉट के विक्रय का सौदा मु०— .
..... /— रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से में पक्का करते हुए एडवान्स मु० /— रुपये द्वितीय पक्ष से प्रथम पक्षगणों ने इस प्रकार दिनांक— को प्राप्त किये।

वकिया धनराशि अन्दर म्याद दो माह को बैनामा के समय दिया जायेगा उक्त प्लॉट के बावत द्वितीय पक्ष के हक में या द्वितीय पक्ष के बताये गये व्यक्ति के हक में बैनामा करने के लिये हम प्रथम पक्षगण वचन बन्ध रहेंगे द्वितीय पक्ष अपने या अपने बताये व्यक्ति के हक में मुझ प्रथम पक्षगणों से बैनामा करवा लें जिसमें हम प्रथम पक्षगणों को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रथम पक्षगण ने उक्त प्लॉट का सौदा /— रुपये में बिना किसी दाबव के द्वितीय पक्ष से किया है उक्त प्लॉट के बैनामा का समय दो माह तय किया गया है। इस प्रकार द्वितीय पक्ष अपने हक में या अपने बताये व्यक्ति के हक बैनामा करवा लें जिसमें प्रथम पक्षगणों को किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा। इस इकरारनामा हाजा की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसानों की होगी।

लिहाजा यह इकरारनामा लिख दिया कि सदन रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख ई0 व मुकाम सिविल कोर्ट आगरा।

गवाह 1.

ह0 प्रथम पक्षगण

2.

ह0 द्वितीय पक्ष